Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2014
(PHALGUNA 9, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 28th February, 2014

No. 17—HLA of 2014/17.—The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 17—HLA of 2014

THE PUNJAB AYURVEDIC AND UNANI PRACTITIONERS (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1963, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows : —

1. This Act may be called the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Act, 2014. Short title.

Amendment of section 2 of Punjab Act 42 of 1963.

2. In section 2 of the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1963 (hereinafter called the principal Act),-

(i) clause (b) shall be omitted;

(ii) after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(ba) "Central Council" means the Central Council of Indian Medicine constituted under section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (Central Act 48 of 1970);

(bb) "Council" means the Council of Indian Medicine, Haryana;';

(iii) after clause (d) the following clause shall be inserted, namely:—

'(da) "Indian Medicine" means the system of Indian medicine commonly known as Ayurvedic System or Unani System supplemented or not by such modern and advances, as the Central Council may declare, by notification, from time to time;';

(iv) after clause (k) the following clause shall be inserted, namely:—

'(ka) "State Government" means the Government of the State of Haryana;';

(v) clause (l) shall be omitted;

Amendment of various sections of Punjab Act 42 of 1963

3. In the principal Act, for the word "Board" wherever occurring, the word "Council" shall be substituted.

Amendment of section 3 of Punjab Act 42 of 1963

4. In section 3 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), the words and signs " to be known as the Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine, Haryana" shall be omitted;

(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(3) The Chairman of the Council shall be appointed by the State Government from amongst the practitioners,-

(i) possessing a degree mentioned in the Second Schedule or the Third Schedule or the Fourth Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (Central Act 48 of 1970);

(ii) registered with the Council; and

(iii) who is domicile of the State of Haryana,

on such terms and conditions, as it may think fit and shall hold office during the pleasure of the State Government.".

5. *In sub-section (3) of section 15 of the principal Act,*— Amendment of section 15 of Punjab Act 42 of 1963.

(i) in clause (a), the sign and word "; or" shall be omitted; and

(ii) clause (b) shall be omitted.

6. After *sub-section (2) of section 15B of the principal Act, the following* sub-section shall be added, namely :— Amendment of section 15B of Punjab Act 42 of 1963.

"(3) If a registered practitioner fails to get his registration renewed within the period provided in sub-section (2), he may apply for extension of period of registration within six months from the expiry of the period provided for renewal under sub-section (2), on payment of such fee, as may be prescribed:

Provided that if the name is not re-entered within the period provided under sub-section (3), the same may be re-entered on payment of such renewal fee as well as additional fee per month, as may be prescribed.".

7. For clause (d) of section 19 of the principal Act, the followmg clause shall be substituted, namely :— Amendment of section 19 of Punjab Act 42 of 1963.

"(d) practitioners of Indian Medicine having qualifications *mentioned in the Second Schedule or the Third Schedule or the* Fourth Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (Central Act 48 of 1970) and registered in Part I of the Register of Indian System of Medicine shall be eligible to practice the Indian Medicine and modern system of medicine including *minor surgery based on their training and teaching which are* included in syllabi of various courses of the Indian System of Medicine as prescribed under the said Act and the practitioners who are already registered in Part II of the Register of Indian System of Medicine shall be eligible to practice the Indian *Medicine.*".

8. For existing section 27 of the principal Act, the following section *shall* be substituted, namely:— Substitution of section 27 of Punjab Act 42 of 1963.

"27. False assumption of certificate or diploma to be an offence.— Whoever wilfully and falsely assumes or uses title or description or any addition to his name implying that he is registered practitioner *shall be punishable for the first offence with imprisonment which* may extend to three years or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees or with both and for every subsequent offence with imprisonment which may extend to five years or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both.".

9. In section 29 of the principal Act, for the words "Ayurvedic System or Unani System", the words "Indian Medicine" shall be substituted. Amendment of section 29 of Punjab Act 42 of 1963

Substitution of Schedule I to Punjab Act 42 of 1963.

10. For existing Schedule I to the principal Act, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE I

(See sections 15 and 31)

A person having qualifications included in the Second Schedule or the Third Schedule or the Fourth Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (Central Act 48 of 1970), shall be eligible for registration.".

STATEMENT OF OBJECTS & REASONS

Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine, Haryana was constituted in the year 1970. It has completed its 44 years of existence and has achieved excellence in practice of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine.

All Ayurvedic and Unani practitioners in the State are functioning under the overall control of the Board and they are governed under the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1963. The said Act required certain amendments with respect to change in the name of Board to Council, qualification of Chairman and practitioners time for renewal of registration, practice of modern medicine and provisions regarding penalties etc. so as to bring it in consonance with Central Council of Indian Medicine Act, 1970.

Hence this Bill.

RAO NARENDER SINGH,
Health Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 28th February, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 17-एच० एल० ए०

**पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-व्यवसायी
(हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014**

**पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-व्यवसायी
अधिनियम, 1963, हरियाणा राज्यार्थ,
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम।

1. *यह अधिनियम पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-व्यवसायी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।*

1963 का पंजाब अधिनियम 42 की धारा 2 का संशोधन।

2. पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1963 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,--

(i) खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात्:--

'(खक) "केन्द्रीय परिषद्" से अभिप्राय है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 48), की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्;';

'(खख) "परिषद्" से अभिप्राय है, भारतीय चिकित्सा परिषद्, हरियाणा;';

(iii) खण्ड (घ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(घक) "भारतीय चिकित्सा" से अभिप्राय है, आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति के रूप में सामान्य रूप से ज्ञात भारतीय चिकित्सा पद्धति जो ऐसी आधुनिक और वृद्धियों से अनुपूरक या अनअनुपूरक हो, जिसे केन्द्रीय परिषद्, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर घोषित करें;';

(iv) खण्ड (ट) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(टक) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;';

(v) खण्ड (ठ) का लोप कर दिया जाएगा।

3. मूल अधिनियम मे, "बोर्ड" शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर "परिषद्" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। 1963 का पंजाब अधिनियम 42 की विभिन्न धाराओं का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 मे,— 1963 का पंजाब अधिनियम 42 की धारा 3 का संशोधन

(i) उप-धारा (1) मे, "आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, हरियाणा के नाम से जाना जाने वाला एक" चिह्न तथा शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) उप धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"(3) परिषद् का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा,

(i) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 48), की द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची मे वर्णित उपाधि रखने वाले;

(ii) परिषद् से पंजीकृत; तथा

(iii) जो हरियाणा राज्य का अधिवासी है,

चिकित्सा-व्यवसायियों में से ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर जो वह ठीक समझे नियुक्त किया जाएगा और राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (3) में,— 1963 का पंजाब अधिनियम 42 की धारा 15 का संशोधन।

(i) खण्ड (क) में, "; तथा" चिह्न तथा शब्द का लोप कर दिया जाएगा; तथा

(ii) खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा।

6. मूल अधिनियम की धारा 15 ख की उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :-- 1963 का पंजाब अधिनियम 42 की धारा 15ख का संशोधन।

"(3) यदि कोई पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी उप-धारा (2) में उपबन्धित अवधि के भीतर अपना पंजीकरण नवीकृत करवाने में असफल रहता है, तो वह उप-धारा (2) के अधीन नवीकरण के लिए उपबन्धित अवधि की समाप्ति से छह मास के भीतर, ऐसी फीस के भुगतान पर जो विहित की जाए, पंजीकरण अवधि के विस्तारण के लिए आवेदन कर सकता है:

परन्तु यदि नाम उप-धारा (3) के अधीन उपबन्धित अवधि के भीतर पुनः दर्ज नहीं किया जाता है, तो उसे ऐसी नवीकरण फीस तथा प्रतिमास अतिरिक्त फीस जो विहित की जाए, के भुगतान पर पुनः दर्ज किया जा सकता है।"।

1963 का पंजाब अधिनियम 42 की धारा 19 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 19 के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 48), की द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची में वर्णित योग्यताएं रखने वाले तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति के रजिस्टर के भाग I में पंजीकृत भारतीय चिकित्सा के चिकित्सा-व्यवसायी अपने प्रशिक्षण तथा अध्यापन पर आधारित लघु शल्य-चिकित्सा सहित जिसमे उक्त अधिनियम के अधीन यथा विहित भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न पाठ्यक्रमो के पाठ्य विवरण शामिल हैं भारतीय चिकित्सा तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति व्यवसाय के लिए पात्र होंगे और चिकित्सा व्यवसायी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति के रजिस्टर के भाग II में पहले से ही पंजीकृत हैं, भारतीय चिकित्सा व्यवसाय के लिए पात्र होंगे ।"।

1963 का पंजाब अधिनियम 42 की धारा 27 का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"27 झूठे प्रमाण-पत्र या उपाधि-पत्र धारण करना अपराध होना.— जो कोई भी स्वेच्छा से और झूठे से उपाधि या हुलिया धारण करता है या प्रयोग करता है या इस अभिप्राय से अपने नाम में कोई परिवर्धन करता है कि वह पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी है, तो प्रथम अपराध के लिए कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से जो पांच वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो पचास हजार रुपए तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।"।

1963 का पंजाब अधिनियम 42 की धारा 29 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 29 में, "आयुर्वेदिक पद्धति या यूनानी पद्धति" शब्द के स्थान पर "भारतीय चिकित्सा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1963 का पंजाब अधिनियम 42 की अनुसूची I का प्रतिस्थापन।

10. मूल अधिनियम की विद्यमान अनुसूची I के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"अनुसूची I

(देखिए धारा 15 तथा 31)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 48), की द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची मे शामिल योग्यताए रखने वाला कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए पात्र होगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, हरियाणा का गठन वर्ष 1970 में किया गया था। उसने अस्तित्व के 44 वर्ष पूरे कर लिए हैं और आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति के व्यवसाय में उत्कृष्टता हासिल की है।

राज्य में सभी आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी बोर्ड के सम्पूर्ण नियत्रणाधीन कृत्य कर रहे हैं और वे पजांब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा–व्यवसायी अधिनियम, 1963 के अधीन शासित हैं। उक्त अधिनियम में बोर्ड से परिषद् का नाम अध्यक्ष तथा चिकित्सा–व्यवसायियो की योग्यता, पंजीकरण के नवीकरण के लिए समय, आधुनिक चिकित्सा–व्यवसाय और शास्तियां इत्यादि से सम्बन्धित उपबन्धों के सम्बन्ध में कुछ संशोधन अपेक्षित हैं ताकि इसे भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अनुरूप बनाया जा सके।

अतः यह विधेयक ।

राव नरेन्द्र सिंह,
स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ सुमित कुमार,
दिनांक 28 फरवरी, 2014 सचिव।